ISSN: 2395-7852

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

Volume 11, Issue 2, March 2024

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

IMPACT FACTOR: 7.583

| www.ijarasem.com | ijarasem@gmail.com | +91-9940572462 |

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 7.583 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 11, Issue 2, March 2024 |

राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण: एक मानवाधिकार

निर्मला सैनी
शोधार्थी (राजनीति विज्ञान)
राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

सार

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग एक राज्य सरकार का निकाय है जिसका गठन 18 जनवरी 1999 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अध्याय-V के तहत राज्य मानव अधिकार आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए कार्यों को करने के लिए किया गया था। [1]

आयोग 23 मार्च 2000 को मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कांता कुमारी भटनागर की प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के साथ-साथ श्री आरके अकोदिया, श्री बीएल जोशी और प्रोफेसर आलमशाह खान की सहायक सदस्यों के रूप में नियुक्ति के साथ कार्यात्मक हो गया। [2]

परिचय

आयोग टीपीएचआरए-1993 के अध्याय-III बिंदु संख्या 12 के अनुसार निम्नलिखित सभी या कोई भी कार्य करेगा।

1. किसी पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर या किसी अदालत के निर्देश या आदेश पर किसी की शिकायत पर पूछताछ करें।
    1. मानवाधिकारों का उल्लंघन या उनमें कमी; या
    2. किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे उल्लंघन की रोकथाम में लापरवाही;
2. किसी अदालत के समक्ष लंबित मानवाधिकारों के उल्लंघन के किसी भी आरोप से जुड़ी किसी भी कार्यवाही में ऐसी अदालत की मंजूरी से हस्तक्षेप करना;
3. तत्समय लागू किसी भी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के नियंत्रण में किसी जेल या अन्य संस्थान का दौरा करें, जहां लोगों को उपचार, सुधार या सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए, जीवित रहने के अध्ययन के लिए हिरासत में लिया जाता है या रखा जाता है। वहां के कैदियों की स्थिति और उन पर सरकार को सिफारिशें करना;
4. मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान या उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा करें और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करें;
5. मानव अधिकारों के आनंद को बाधित करने वाले आतंकवाद के कृत्यों सहित कारकों की समीक्षा करें और उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करें;
6. मानवाधिकारों पर संधियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय उपकरणों का अध्ययन करें और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करें;

7. मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और बढ़ावा देना;
8. समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकार साक्षरता फैलाना और प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना;
9. मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना;
10. ऐसे अन्य कार्य जिन्हें वह मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझे।

विचार-विमर्श

किसी भी मामले में कार्रवाई की प्रक्रिया अध्याय-IV बिंदु संख्या में उल्लिखित है। टीपीएचआरए अधिनियम 1993 के 17 से 20।

शिकायतों की जांच

मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करते समय आयोग-[1,2,3]

1. केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकरण या संगठन से उसके द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर जानकारी या रिपोर्ट मांगें:- बशर्ते कि-
    1. यदि सूचना या रिपोर्ट आयोग द्वारा निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो वह स्वयं शिकायत की जांच के लिए आगे बढ़ सकता है;
    2. यदि, सूचना या रिपोर्ट प्राप्त होने पर, आयोग संतुष्ट है कि आगे कोई जांच की आवश्यकता नहीं है या संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है या की गई है, तो वह शिकायत पर आगे नहीं बढ़ सकता है और तदनुसार शिकायतकर्ता को सूचित कर सकता है;
    3. खंड (i) में निहित किसी भी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि वह आवश्यक समझे तो शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू करेगी।

पूछताछ के दौरान और उसके बाद के कदम

आयोग इस अधिनियम के तहत आयोजित जांच के दौरान या उसके पूरा होने पर निम्नलिखित में से कोई भी कदम उठा सकता है, अर्थात्: -

1. जहां जांच में मानव अधिकारों के उल्लंघन या किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन की रोकथाम या उसके उन्मूलन में लापरवाही का खुलासा होता है, वह संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है -
    1. शिकायतकर्ता या पीड़ित या उसके परिवार के सदस्यों को मुआवजे या क्षति का भुगतान करना, जैसा कि आयोग आवश्यक समझे;
    2. अभियोजन या ऐसी अन्य उपयुक्त कार्रवाई के लिए कार्यवाही शुरू करना जो आयोग संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ उचित समझे;
    3. ऐसी आगे की कार्रवाई करना जो वह उचित समझे;
2. ऐसे निर्देशों, आदेशों या रिटों के लिए उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय से संपर्क करें जिन्हें वह न्यायालय आवश्यक समझे;
3. जांच के किसी भी चरण में संबंधित सरकार या प्राधिकारी को पीड़ित या उसके परिवार के सदस्यों को ऐसी तत्काल अंतरिम राहत देने की सिफारिश करना, जिसे आयोग आवश्यक समझे;

4. खंड के प्रावधानों के अधीन
5. याचिकाकर्ता या उसके प्रतिनिधि को जांच रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करें;
6. आयोग अपनी जांच रिपोर्ट की एक प्रति अपनी सिफारिशों के साथ संबंधित सरकार या प्राधिकरण को भेजेगा और संबंधित सरकार या प्राधिकरण, एक महीने की अवधि के भीतर, या आयोग द्वारा अनुमति दिए गए अतिरिक्त समय पर अपनी टिप्पणियाँ अग्रेषित करेगा। उस पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई सहित आयोग को रिपोर्ट देना;
7. आयोग अपनी जांच रिपोर्ट को संबंधित सरकार या प्राधिकरण की टिप्पणियों, यदि कोई हो, और आयोग की सिफारिशों पर संबंधित सरकार या प्राधिकरण द्वारा की गई या प्रस्तावित कार्रवाई के साथ प्रकाशित करेगा।

सशस्त्र बलों के संबंध में प्रक्रिया

1. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों से निपटते समय, आयोग निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा, अर्थात्: -
    1. यह या तो स्वप्रेरणा से या याचिका प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है
    2. रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद, वह या तो शिकायत पर आगे नहीं बढ़ सकती है या, जैसा भी मामला हो, उस सरकार को अपनी सिफारिशें कर सकती है।
2. केंद्र सरकार आयोग को तीन महीने के भीतर या आयोग द्वारा अनुमति दिए गए अतिरिक्त समय के भीतर सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करेगी।
3. आयोग केंद्र सरकार को की गई अपनी सिफारिशों और ऐसी सिफारिशों पर उस सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के साथ अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगा।
4. आयोग उप-धारा (3) के तहत प्रकाशित रिपोर्ट की एक प्रति याचिकाकर्ता या उसके प्रतिनिधि को प्रदान करेगा।

आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टें

1. आयोग केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय किसी भी मामले पर विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है, जो उसकी राय में इतनी अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण है कि इसे प्रस्तुत करने तक स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। वार्षिक रिपोर्ट।
2. जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट को कार्रवाई के ज्ञापन के साथ क्रमशः संसद या राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी। आयोग की सिफ़ारिशों पर लिया गया या लिया जाने का प्रस्ताव और सिफ़ारिशों को अस्वीकार करने के कारण, यदि कोई हों।[4,5,6]

रचना

सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक टिप्पणी के बाद [3] झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश चंद्र टाटिया को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, [4] उनके नाम की सिफारिश सदस्य के रूप में श्री चंद्रमोहन मीना और विशेषज्ञ के रूप में श्री आशुतोष शर्मा के साथ की गई। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे सिंधिया की अध्यक्षता में दो चयन समितियों द्वारा। [5]

वर्तमान टीम

नाम	पद का नाम	से
जस्टिस जीके व्यास	अध्यक्ष	--
श्री महेश गोयल	सदस्य	--
श्री आशुतोष शर्मा	सदस्य	--
श्री एच आर कुरी	सदस्य	1 सितंबर 2011
डॉ. एमके देवराजन	सदस्य	1 सितंबर 2011
श्री जंगा श्रीनिवास राव	सचिव	5 अप्रैल 2010
श्रीमती संचिता बिश्नोई	उप कुल सचिव	30 मार्च 2012
श्री पीआर पंडित	सचिव	3 मार्च 2014
श्री सौरभ श्रीवास्तव	महानिदेशक पुलिस	3 मार्च 2014

इससे पहले श्री एचआर कुरी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में आयोग का नेतृत्व कर रहे थे क्योंकि मद्रास और कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश नागेंद्र कुमार जैन द्वारा 16 जुलाई 2005 से 15 जुलाई 2010 तक अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद यह पद खाली हो गया था । [6]

पूर्व अध्यक्ष एवं सदस्य

नाम	पद का नाम	से	तक
न्यायमूर्ति कांता कुमारी भटनागर	अध्यक्ष	23 मार्च 2000	11 अगस्त 2000
न्यायमूर्ति सैय्यद सगीर अहमद	अध्यक्ष	16 फरवरी 2001	3 जून 2004
न्यायमूर्ति नागेंद्र कुमार जैन	अध्यक्ष	16 जुलाई 2005	15 जुलाई 2010
जस्टिस अमर सिंह गोदारा	सदस्य	7 जुलाई 2000	6 जुलाई 2005
श्री आर.के.अकोदिया	सदस्य	25 मार्च 2000	24 मार्च 2005
श्री बीएल जोशी	सदस्य	25 मार्च 2000	31 मार्च 2004
प्रोफेसर आलमशाह कहन	सदस्य	24 मार्च 2000	16 मई 2003
श्री नमो नारायण मीना	सदस्य	11 सितंबर 2003	23 मार्च 2004
श्री धर्म सिंह मीना	सदस्य	7 जुलाई 2005	6 जुलाई 2010
जस्टिस जगत सिंह	सदस्य	10 अक्टूबर 2005	9 अक्टूबर 2010
श्री पुखराज सीरवी	सदस्य	15 अप्रैल 2004	13 अप्रैल 2011

रिपोर्ट [7,8,9]

आयोग ने 2010 से 2014 के बीच कुल 17,033 घटनाओं का आकलन किया था, जिसमें 33 जिलों में से जयपुर के बाद अजमेर में सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की गईं। आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष एक व्यापक जिला और घटनावार रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, जिसमें घटनाओं की स्थिति के साथ-साथ आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष कुछ महत्वपूर्ण और प्रमुख फैसलों को दर्शाया जाता है। [7]

से	तक	बच्चा	स्वास्थ्य	कारागार	गिरोह	श्रम	एससी/एसटी	पुलिस	प्रदूषण	धार्मिक	महिला	अन्य	अस्वीकृत [8]	कुल
1 अप्रैल 2004	31 मार्च 2005	13	43	94	19	01	19	819	16	29	92	125	2002	3272
1 अप्रैल 2005	31 मार्च 2006	18	50	84	48	08	41	867	12	48	130	112	2317	3735
1 अप्रैल 2006	31 मार्च 2007 [9]	20	30	80	38	12	16	1002	16	54	158	158	2306	3890
1 अप्रैल 2007	31 मार्च 2008 [10]	24	38	63	08	08	27	997	17	33	186	317	2126	3844
1 अप्रैल 2008	31 मार्च 2009 [11]	36	34	57	26	06	39	1121	14	27	191	331	2095	3977
1 अप्रैल 2009	31 मार्च 2010 [12]	18	05	98	161	03	96	768	08	19	142	407	1526	3251
1 अप्रैल 2010	31 मार्च 2011	35	22	126	211	08	48	842	14	34	172	285	1777	3574
1 अप्रैल 2011	31 मार्च 2012	29	45	114	117	10	35	1175	20	36	181	288	1871	3921
1 अप्रैल	31 मार्च 2013	29	117	112	55	07	20	1371	21	37	101	905	2177	4952

2012														
1 अप्रैल 2013	31 मार्च 2014	17	68	91	17	06	02	1375	03	31	32	1052	1892	4586

महत्वपूर्ण घटनाएँ [10,11,12]

हाल की कुछ घटनाएं जिन्होंने राजस्थान राज्य में मानवाधिकार संबंधी चिंताओं को समाचार में ला दिया है:

- पाकिस्तानी निवासी हवा देवी एक साल से अधिक समय से जोधपुर में फंसी हुई हैं और प्रस्थान की अनुमति का इंतजार कर रही हैं। [13]
- राज्य पुलिस और स्थानीय अधिकारियों को नोटिस, जिसमें भाजपा सांसद हेमा मालिनी से जुड़ी कार दुर्घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है , जिसमें चार साल की बच्ची की मौत हो गई। [14]
- कोटा के कोचिंग हब में छात्रों द्वारा बढ़ती आत्महत्याओं का स्वत: संज्ञान। [15] [16]
- सीकर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की घटना से निपटने में पुलिस का रवैया . [17]
- जैन धर्म के अनुसार सल्लेखना का अभ्यास करते हुए मरने का अधिकार । [18] [19] [20]
- आरएसी की 11वीं बटालियन के आईपीएस अधिकारी पर भ्रष्टाचार और पक्षपात का आरोप. [21]
- चोरी हुए मोबाइल को बरामद करने के लिए अजमेर पुलिस स्टेशन में महिला को निर्वस्त्र करने के मामले में एनएचआरसी ने स्वत: संज्ञान लिया। [22]
- राजस्थान में नकली दवा कंपनी ने हाल ही में 13 अलग-अलग राज्यों में विभिन्न जीवन रक्षक दवाओं और एंटीबायोटिक्स की आपूर्ति की थी। [23]
- ब्यावर सेक्स रैकेट की जांच। [24]
- पोखरण-द्वितीय परमाणु परीक्षण के बाद खेतोलाई और लोहारकी गांवों में विकिरण के कारण कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ रही है । [25] [26]
- सिलिकोसिस जैसी व्यावसायिक बीमारियों के चिंताजनक प्रसार को रोकने और उल्लंघन करने वालों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए खान अधिनियम, 1952 में आवश्यक संशोधन करने की सिफारिशें। [27] [28]
- सरकार द्वारा अधिग्रहीत भूमि का उचित मुआवजा। क्या किसान का मानवाधिकार है: भारत का सर्वोच्च न्यायालय । [29]
- राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने जैसलमेर और बाड़मेर में कार्यरत होम गार्डों को स्थाई करने की वकालत की है.

परिणाम

1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 सभी व्यक्तियों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 21 में निहित जीवन का अधिकार केवल अस्तित्व या अस्तित्व का अधिकार नहीं है। यह व्यक्ति को मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार की गारंटी देता है।[17]

इसमें जीवन के वे सभी पहलू शामिल हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन को सार्थक, पूर्ण और जीने लायक बनाते हैं। मानव जीवन का अपना आकर्षण है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि सभी स्वीकार्य सुखों के साथ जीवन का आनंद न लिया जाए। जो कोई भी अपने घर के भीतर शांति, आराम और शांति से रहना चाहता है, उसे प्रदूषण के रूप में शोर को अपने तक पहुंचने से रोकने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपने परिसर में भी ऐसा शोर मचाने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता जो उसके परिसर से परे चला जाए और पड़ोसियों या अन्य लोगों के लिए परेशानी का कारण बने। कोई भी शोर जो एक उचित व्यक्ति के मानक के आधार पर जीवन की सामान्य सुख-सुविधाओं में भौतिक रूप से हस्तक्षेप करने का प्रभाव रखता है, उपद्रव है। शोर से पैदा हुआ उपद्रव कैसे और कब कार्रवाई योग्य हो जाता है, इसका उत्तर उसकी डिग्री और स्थान और समय सहित आसपास की परिस्थितियों के संदर्भ में दिया जाना चाहिए। जो लोग शोर मचाते हैं वे अक्सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार की वकालत करने वाले अनुच्छेद 19(1) के पीछे शरण लेते हैं। निस्संदेह, बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हैं लेकिन अधिकार पूर्ण नहीं हैं।[13,14,15]

कोई भी व्यक्ति लाउडस्पीकर की मदद से अपने भाषण की आवाज बढ़ाकर शोर पैदा करने के मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता। जहां एक को बोलने का अधिकार है, वहीं दूसरों को सुनने या सुनने से इनकार करने का अधिकार है। किसी को भी सुनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि उसे अपनी आवाज दूसरों के कानों या दिमाग में घुसाने का अधिकार है। कोई भी कर्णात्मक आक्रामकता में शामिल नहीं हो सकता। यदि कोई अपने भाषण की मात्रा बढ़ाता है और वह भी कृत्रिम उपकरणों की सहायता से ताकि अनिच्छुक व्यक्तियों को अप्रिय या अप्रिय स्तर तक बढ़ाए गए शोर को सुनने के लिए बाध्य किया जा सके तो बोलने वाला व्यक्ति दूसरों के शांतिपूर्ण, आरामदायक और प्रदूषण के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। -अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत मुक्त जीवन। अनुच्छेद 19(1) को अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार को पराजित करने के लिए सेवा में नहीं लगाया जा सकता है। हमें इस पहलू पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए दो निर्णय हमारे संज्ञान में लाए गए हैं जिनमें ध्वनि प्रदूषण से मुक्त वातावरण में रहने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकार के रूप में बरकरार रखा गया है।

ये फैसले हैं नि:शुल्क कानूनी सहायता सेल श्री सुगन चंद अग्रवाल उर्फ भगतजी बनाम सरकार। दिल्ली के एनसीटी और अन्य, (डीबी) और पीए जैकब बनाम।

पुलिस अधीक्षक, कोट्टायम। हमने दोनों निर्णयों में अपनाए गए तर्क और उसमें निर्धारित कानून के सिद्धांत, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। हम स्वयं को इससे पूरी तरह सहमत पाते हैं।

2. आवेदक की शिकायत है:

(i) कि आवेदक ने पत्र के माध्यम से आरएसआरटीसी के ध्यान में राज्य भर में अपने सामान्य आवागमन के दौरान दैनिक आधार पर राज्य के स्वामित्व वाली बसों द्वारा एयर प्रेशर हॉर्न के उपयोग के दुखद प्रभावों को लाया है, जो मौजूदा लागू और शासी का उल्लंघन है। ध्वनि प्रदूषण पर कानून.

आवेदक ने आरएसआरटीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को समस्या का बहुत जरूरी विहंगम दृश्य प्रस्तुत किया ताकि निगम को यह एहसास हो सके कि कैसे, अपने आचरण से वह कानून के बार-बार

उल्लंघन के लिए उत्तरदायी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस एलडी द्वारा पारित कानूनों और निर्णयों में रखा गया है। न्यायाधिकरण.

(ii) कि निगम के कार्यकारी निदेशक (मैकेनिकल) ने आवेदक के दिनांक 18.02.2021 के पत्र की प्राप्ति के बाद, राज्य के स्वामित्व वाली और संचालित बसों में लंबे समय तक भारी प्रेशर हॉर्न के बेलगाम उपयोग के आसन्न खतरों के बारे में संज्ञान लेने के बाद राज्य में लोगों के कल्याण की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए, निगम के तहत सभी बस डिपो के मुख्य प्रबंधकों को अपने पत्र दिनांक 23.02.2021 के माध्यम से निर्देशित किया गया कि यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य कार्रवाई की जानी चाहिए कि हॉर्न का उपयोग अप्रतिबंधित और बिना रोकटोक के नहीं किया जाना चाहिए। कोई उचित कारण. निगम के अंतर्गत सभी बस डिपो के मुख्य प्रबंधकों को दिनांक 23.02.2021 के पत्र की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर की गई बाद की कार्रवाई के आवश्यक सबूतों के साथ कार्यकारी निदेशक को रिपोर्ट करने के लिए बाध्य किया गया था, हालांकि, आज तक, इच्छित तिथि से 6 महीने बाद, निगम के कार्यकारी निदेशक (मैकेनिकल) के पत्र दिनांक 23.02.2021 के रिकॉर्ड पर मुख्य प्रबंधक की ओर से कोई सकारात्मक कार्रवाई या प्रतिक्रिया नहीं हुई है।

(iii) ध्वनि प्रदूषण का उपद्रव राज्य के यातायात पुलिस विभाग की भी चिंता का विषय रहा है, जिसमें राज्य की राजधानी यानी जयपुर में यातायात पुलिस, जैसा कि राज्य में व्यापक रूप से पढ़े जाने वाले और मान्यता प्राप्त समाचार पत्र यानी दैनिक भास्कर में बताया गया है। इसके संस्करण दिनांक 03.09.2021 [अनुलग्नक ए-8 के रूप में संलग्न] में नवीन प्रयासों के माध्यम से इस खतरे को रोकने और नियंत्रित करने की मांग की गई है, जिसमें घोषित साइलेंस जोन में उनके 5वें रिकॉर्ड किए गए डिफ़ॉल्ट के बाद ही दोषियों की पहचान की जाएगी और उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अखबार ने यह भी दर्ज किया कि 2021 में जारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, कानून के पत्रों में निर्धारित ध्वनि प्रदूषण मानकों का अनुपालन नहीं किया गया है।[18]

(iv) राज्य में मामलों की दयनीय और अज्ञानतापूर्ण स्थिति के मद्देनजर, आवेदक के महासचिव ने दिनांक 06.09.2021 के पत्र के माध्यम से निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को लिखा [अनुलग्नक ए के रूप में संलग्न-

9], जिसमें आवेदक द्वारा कई महीनों के दौरान निगम के कार्यकारी निदेशक (इंजीनियरिंग) को दिए गए निरंतर अभ्यावेदन और इस विषय पर दैनिक भास्कर दिनांक 03.09.2021 की विस्तृत रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था।

(v) 29.09.2021 को, दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर [संलग्नक ए-10 के रूप में संलग्न] ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि, राज्य की राजधानी जयपुर में 70% से अधिक ध्वनि प्रदूषण एक ही कारण से हो रहा है। स्रोत यानी, वाहन ध्वनि प्रदूषण। इसके अलावा, रिपोर्ट के अनुसार, कुछ मामलों में वाहनों के हॉर्न की तीव्रता 100 डेसिबल से भी अधिक है, जो कि आवासीय क्षेत्रों में कानून द्वारा निर्धारित 55 डेसिबल के सुरक्षा मानकों की तुलना में बहुत अधिक है, जिससे स्थिति बिगड़ती जा रही है। वाहनों और जनसंख्या की बढ़ती संख्या के कारण।

(vi) चूंकि आवेदक द्वारा समय-समय पर उठाए गए मुद्दों पर जिम्मेदार राज्य मशीनरी/प्रतिवादियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए आवेदक को इस माननीय न्यायाधिकरण से संपर्क करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

(vii) वैधानिक प्रावधान भारत का संविधान, 1950 संविधान का अनुच्छेद 21 'मौलिक अधिकारों के हृदय' की गारंटी देता है और इस प्रकार है:[16,17,18]

"21. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा.--किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।"[19,20]

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण के संबंध में-

लाउडस्पीकरों और उच्च मात्रा में ध्वनि उत्पन्न करने वाले ध्वनि प्रणालियों के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए कानूनों के कार्यान्वयन, (2005) 5 एससीसी 733 में अन्य बातों के साथ-साथ यह माना गया है कि अनुच्छेद 21 केवल अस्तित्व के लिए नहीं है और इसमें ऐसे पहलू शामिल हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन को सार्थक, पूर्ण और जीने लायक बनाते हैं।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और उससे जुड़े मामलों के लिए प्रावधान करता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार से संबंधित नीतियों और निर्णयों को बढ़ावा देना है। और मनुष्यों, वनस्पतियों और संपत्ति सहित अन्य जीवित प्राणियों के लिए खतरों की रोकथाम।

MANU/SC/0647/2020, ने अधिनियम के महत्व और उद्देश्य पर विस्तार से चर्चा की और इस प्रकार चर्चा की:

"9. बाद में, जून में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में लिए गए निर्णय को लागू करने की दृष्टि से, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और उससे जुड़े मामलों के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 लागू किया गया था। 1972, जिसमें भारत ने भाग लिया था।

10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के उद्देश्य और कारणों का विवरण सुविधा के लिए नीचे दिया गया है:

1. ...पर्यावरणीय गुणवत्ता की रक्षा और संवर्धन के विश्व समुदाय के संकल्प को जून 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में लिए गए निर्णयों में अभिव्यक्ति मिली। भारत सरकार ने सम्मेलन में भाग लिया और जोरदार आवाज उठाई। पर्यावरणीय चिंता। हालाँकि सम्मेलन से पहले और बाद में पर्यावरण संरक्षण के लिए कई उपाय किए गए हैं, सम्मेलन के निर्णयों को लागू करने के लिए एक सामान्य कानून की आवश्यकता तेजी से स्पष्ट हो गई है।

2. हालाँकि कई पर्यावरणीय मामलों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निपटने वाले मौजूदा कानून मौजूद हैं, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के लिए एक सामान्य कानून बनाना आवश्यक है।

मौजूदा कानून आम तौर पर विशिष्ट प्रकार के प्रदूषण या खतरनाक पदार्थों की विशिष्ट श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पर्यावरणीय खतरों के कुछ प्रमुख क्षेत्र शामिल नहीं हैं। प्रमुख पर्यावरणीय खतरों वाले क्षेत्रों में भी खुली हुई कमियाँ मौजूद हैं। औद्योगिक और पर्यावरण सुरक्षा के मामलों से निपटने में अपर्याप्त संबंध हैं। पर्यावरण में खतरनाक पदार्थों, विशेष रूप से नए रसायनों के धीमे, घातक निर्माण से बचाव के लिए नियंत्रण तंत्र कमजोर हैं। विनियामक एजेंसियों की बहुलता के कारण, एक ऐसे प्राधिकरण की आवश्यकता है जो पर्यावरणीय सुरक्षा की दीर्घकालिक आवश्यकताओं के अध्ययन, योजना और कार्यान्वयन और दिशा देने और सह-कार्य करने में अग्रणी भूमिका निभा सके।[21,22,23]

निष्कर्ष

पर्यावरण को खतरे में डालने वाली आपातकालीन स्थितियों के लिए त्वरित और पर्याप्त प्रतिक्रिया की एक प्रणाली का समन्वय करना।

3. ऊपर जो कहा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण संरक्षण पर एक सामान्य कानून के अधिनियमन की तत्काल आवश्यकता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न नियामक एजेंसियों की गतिविधियों के समन्वय, एक प्राधिकरण या प्राधिकरण के निर्माण को सक्षम बनाए। पर्यावरण संरक्षण के लिए शक्तियां, पर्यावरण प्रदूषकों के निर्वहन का विनियमन और खतरनाक पदार्थों से निपटना, पर्यावरण को खतरे में डालने वाली दुर्घटनाओं की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया और मानव पर्यावरण, सुरक्षा और स्वास्थ्य को खतरे में डालने वालों को निवारक दंड देना।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।"[24]

संदर्भ

1. "राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत" (पीडीएफ)। 11 नवंबर 2020 कोलिया गया.
2. ^ "पूर्व अध्यक्ष और सदस्य | राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग" । 20 मई 2015 को मूल से संग्रहीत । 30 जुलाई 2017 को लिया गया .
3. ^ आईएएनएस (18 सितंबर 2015)। "एससी ने बिना नेतृत्व वाले राज्य अधिकार पैनल पर राजस्थान को फटकार लगाई" । बिजनेस स्टैंडर्ड इंडिया । 31 जुलाई 2017 को लिया गया ।
4. ^ "पूर्व झारखंड एचसी सीजे को एसएचआरसी प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया: राजस्थान सरकार ने एससी को" । जी नेवस । 6 नवंबर 2015 । 31 जुलाई 2017 को लिया गया ।
5. ^ "मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होंगे जस्टिस टाटिया" । 31 जुलाई 2017 को लिया गया ।
6. ^ "राज्य मानवाधिकार पैनल में रिक्तियां, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की खिंचाई की" । 31 जुलाई 2017 को लिया गया ।
7. ^ "वार्षिक प्रगति रिपोर्ट | राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग" । 26 दिसंबर 2015 को मूल से संग्रहीत । 26 दिसंबर 2015 को लिया गया .
8. ^ "उनके पोते के बिना नहीं" । Indianexpress.com । 9 अगस्त 2015.
9. ^ "वर्ष 2006-07 के लिए एचआरएस" (पीडीएफ) । 11 नवंबर 2020 को लिया गया .
10. ^ "वर्ष 2007-08 के लिए एचआरएस" (पीडीएफ) । 11 नवंबर 2020 को लिया गया .
11. ^ "वर्ष 2008-09 के लिए एचआरएस" (पीडीएफ) । 11 नवंबर 2020 को लिया गया .
12. ^ "वर्ष 2009-10 का एचआरएस" (पीडीएफ) । 11 नवंबर 2020 को लिया गया .
13. ^ "मानवाधिकार पैनल ने हवा देवी की दुर्दशा पर ध्यान दिया - टाइम्स ऑफ इंडिया" । indiatimes.com ।
14. ^ "हेमा मालिनी दुर्घटना: आरएसएचआरसी ने पुलिस, स्थानीय अधिकारियों को नोटिस जारी किया" । oneindia.com ।
15. ^ "आरएसएचआरसी ने कोटा में छात्र आत्महत्याओं पर रिपोर्ट मांगी - टाइम्स ऑफ इंडिया" । indiatimes.com ।
16. ^ "कोटा में 30वीं छात्र आत्महत्या दर्ज, जिला प्रशासन स्तब्ध - टाइम्स ऑफ इंडिया" । indiatimes.com ।

17. ^ "सीकर बलात्कार: कूड़ा बीनने वाले 2 लोग पकड़े गए, 3 पुलिसकर्मी निलंबित - टाइम्स ऑफ इंडिया" । indiatimes.com ।
18. ^ "संथारा पर बहस: यह जैन प्रथा आत्महत्या नहीं है, लेकिन भारतीय कानून इसे इस तरह नहीं देखते हैं - फ़र्स्टपोस्ट" । www.firstpost.com .
19. ^ "जैन धर्म और संथारा द्वारा मरने का अधिकार" । Indianexpress.com । 2 सितंबर 2015.
20. ^ विश्वनाथन, शिव (24 अगस्त 2015)। "संथारा का एक पुनर्पाठ" । हिन्दू । आईएसएसएन 0971-751X . 17 जून 2019 को लिया गया ।
21. ^ "आरएसी की 11वीं बटालियन ने एडीजी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, कार्रवाई के लिए डीजीपी को लिखा पत्र" । Indianexpress.com । 20 दिसंबर 2015.
22. ^ "अजमेर पुलिस स्टेशन में पुलिस ने महिला को निर्वस्त्र किया - टाइम्स ऑफ इंडिया" । indiatimes.com ।
23. ^ "न्यूज़7 - प्रमेय न्यूज़7, न्यूज़7 ओडिया, ओडिशा नवीनतम समाचार, ओडिशा वर्तमान सुर्खियाँ, ओडिशा समाचार ऑनलाइन" । 17 जून 2019 को लिया गया ।
24. ^ "मानवाधिकार आयोग ने कार्रवाई की, रिपोर्ट सौंपने को कहा, जयपुर समाचार हिंदी में - सैक्स स्केंडल..मानवाधिकार आयोग ने नवीनतम रिपोर्ट दी, परमज्योति मानवाधिकार आयोग" । पत्रिका.कॉम .

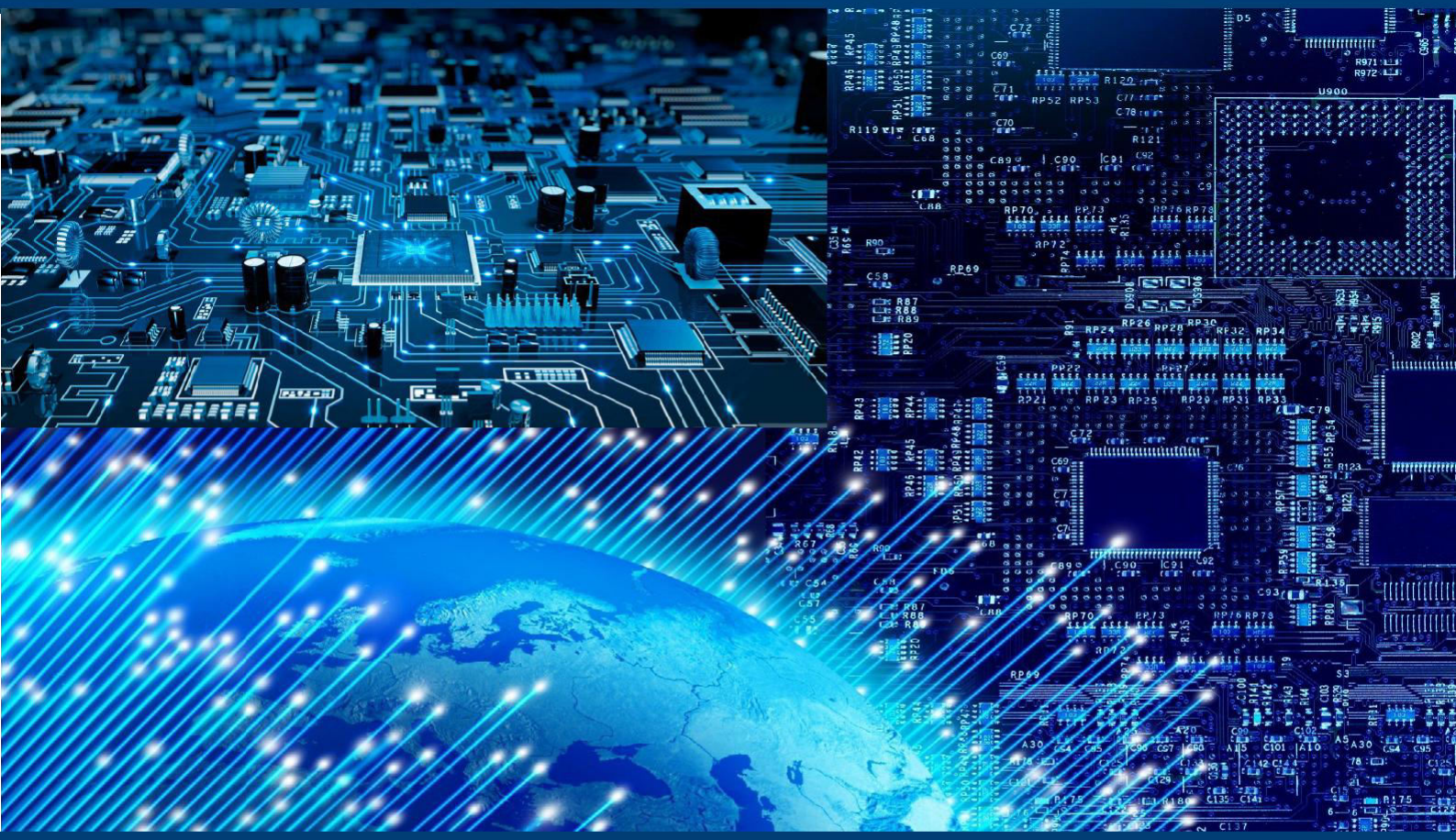

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |